

बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (प्रा0 शि0),  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार दिवस 2017 के आयोजन हेतु कुल रूपये 5,07,61,000/- (पाँच करोड़ सात लाख इकसठ हजार रू0) मात्र स्वीकृत राशि का आवंटन।

महाशय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0105-शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव, विपत्र कोड संख्या-पी 2202010010105, राज्य योजना स्कीम कोड-HRD 5385 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में कुल रूपये 5,07,61,000/- (पाँच करोड़ सात लाख इकसठ हजार रू0) मात्र वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपको आवंटित की जाती है।

**विवरण**

क्रमांक	विषय शीर्ष	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	5,07,61,000	5,07,61,000
तत्काल आवंटित राशि रू0 5,07,61,000/- (पाँच करोड़ सात लाख इकसठ हजार रू0) मात्र।				

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।

4. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटन के शीर्ष का ही मोहर लगाया जाए।
5. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-96 दिनांक-16.03.17 के आलोक में आवंटित है।
6. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।
7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में विहित प्रपत्र में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) पटना को प्रेषित किया जाये।
8. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
9. पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।
10. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।
11. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-36 दिनांक-28.02.17 के द्वारा वित्त विभाग के सहमति के आलोक में विपत्र कोड-एन 2202010010105 के विषय शीर्ष-28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में 10,00,00,000/- (दस करोड़ रु०) मात्र पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त राशि का उपबंध किया गया।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- 318

पटना, दिनांक:- 17/3/17

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/निदेशक, (जन शिक्षा)/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक, (योजना)/रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 (विनोद कुमार सिंह),  
 सरकार के विशेष सचिव।  
 17/3/17